

कार्यालय नगर पालिका परिषद मंडीदीप जिला – रायसेन म.प्र.

दूरभाष एवं फ़ैक्स नम्बर 07480- 407022 Email - cmomandideep@mpurban.gov.in

क्र0 / 883 / जल.शा. / न.पा.प. / 2026

मंडीदीप, दिनांक 14.05.2026

// ई-निविदा सूचना //

एतद् द्वारा समस्त अधिकृत एजेन्सियों/फर्मो/सप्लायरो को सूचित किया जाता है, कि जल प्रदाय शाखा अन्तर्गत जल प्रदाय व्यवस्था के संचालन/संधारण कार्य से संबंधित आवश्यक सामग्री संलग्न सूची अनुसार क्रय (प्राप्त) करने हेतु संलग्न विवरण अनुसार निविदा दिनांक 15.06.2026 को ऑनलाईन माध्यम से समय 17:30 बजे तक दो लिफाफा पद्धति से आईटम दर के आधार पर ऑनलाईन आमंत्रित की जाती है । दिनांक 15.06.2026 समय 17:30 बजे तक निर्धारित राशि ऑनलाईन जमा कर निविदा प्रपत्र बेवसाईड www.mptenders.gov.in से प्राप्त किये जा सकते है । दिनांक 16.06.2026 को समय 17.30 बजे ऑनलाईन निविदाएं खोली जावेंगी।

क्र0	सामग्री का विवरण	अनुमानित लागत	मात्रा	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य करने की समय सीमा
1	जल प्रदाय शाखा अन्तर्गत जल प्रदाय व्यवस्था के संचालन/संधारण कार्य से संबंधित विभिन्न आवश्यक सामग्री प्रदाय करना ।	123.00 लाख	आवश्यकता अनुसार (समय-समय पर)	61,500/-	12,500/-	31 मार्च 2027 तक (वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु)

नियम एवं शर्त :-

- Envelope-A (Mandatory Documents) सही होने पर ही Envelope-C (Financial Bid) खोली जावेंगी ।
- सामग्री की विस्तृत सूची एवं अन्य विवरण तथा जानकारी कार्यालयीन समय में कार्यालय की जल प्रदाय शाखा में देखी व प्राप्त की जा सकती है ।
- सामग्री ISI मार्क तथा स्पेशिफिकेशन के अनुसार होना अनिवार्य है । सामग्री की गुणवत्ता पूर्ण न होने की स्थिति में निकाय द्वारा मान्य नहीं की जावेगी ।
- दरें GST राशि छोड़कर अन्य समस्त चुकता करो सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा तथा GST की राशि शासन निर्धारण अनुसार पृथक से देय होगी ।
- निविदादाता द्वारा फर्म/एजेन्सी से संबंधित – PAN CARD, VALID GST REGISTRATION, VALID GUMASTA REGISTRATION, ORGANIZATION DETAIL ANNEXURE-H, AFFIDAVIT ON 100 RS STAMP ANNEXURE-B, लिफाफा-ए में ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा । ऑफ लाईन दस्तावेज निकाय में प्रस्तुत करने पर मान्य नहीं किये जावेंगे ।
- दरें संलग्न सूची में दिये गये विवरण अनुसार ही देना होगा ।
- सशर्त निविदा मान्य नहीं की जावेंगी ।
- संबंधित एजेन्सी/फर्म द्वारा सामग्री निकाय क्षेत्रान्तर्गत समयसीमा में प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा ।
- EMD केवल e-FDR के रूप में ही स्वीकार की जावेंगी ।
- निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी बेवसाईट www.mptenders.gov.in पर भी देखी जा सकती है ।

11. निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन केबल बेवसाईट www.mptenders.gov.in पर ही देखा जा सकता है
12. उक्त समस्त सामग्री के रेट वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिये मान्य होंगे । उक्त अवधि के अंदर जब भी वार्डों में सामग्री की आवश्यकता होगी, तो सप्लायर को सप्लाय आर्डर प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर सामग्री प्रदाय करना अनिवार्य होगा ।
13. नियम समयावधि में तथा गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रदाय न करने की स्थिति में निकाय एजेन्सी का ठेका निरस्त करने के लिये स्वतंत्र होगी ।
14. सामग्री के रेट स्वीकृत होने पर नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉप पर एवं पी.जी. की 03 प्रतिशत राशि (कुल राशि की) के साथ अनुबंध संपादित करना होगा ।
15. नगर पालिका द्वारा सामग्री अपनी आवश्यकता अनुसार क्रय की जावेगी, जिसमें राशि निविदा लागत राशि से कम अथवा अधिक हो सकती है ।
16. प्रदाय की गई सामग्री का भुगतान निकाय की वित्तीय स्थिति के आधार पर किया जावेगा ।
17. सामग्री की आपूर्ति निविदा में दी गई शर्तों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण होना अनिवार्य होगा ।
18. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा । इसके लिए कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा ।
19. निविदा की वैधता निविदा प्राप्ति दिनांक से 180 दिनों तक वैध रहेगी ।
20. किसी भी तरह के वाद-विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय न.पा.प. मण्डीदीप का होगा ।
21. न्यायलीन क्षेत्र गौहरगंज/रायसेन रहेगा ।